

● दिनांक-19.08.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ vc के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
- श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
- श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
- श्री अखिलेश्वर मिश्रा, उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था, जो पदाधिकारी बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित हैं, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-01, पंचायती राज विभाग)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. Audit:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण हेतु कुल 02 पंचायत समिति एवं 35 ग्राम पंचायतें लंबित हैं। सिवान एवं पूर्वी चंपारण जिले के DPRO द्वारा बताया गया कि दोनों पंचायत समितियों में अंकेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करा दिया गया है।

जमुई के DPRO द्वारा बताया गया कि सिझौड़ी एवं मथुरापुर पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव का सहरसा स्थानांतरण हो जाने के कारण अंकेक्षण कार्य बाधित है। सहरसा के DPRO को निदेश दिया गया कि उक्त पंचायत सचिव को एक सप्ताह के लिए जमुई जिले के उपर्युक्त पंचायतों में प्रतिनियुक्त किया जाए ताकि अंकेक्षण कार्य ससमय पूर्ण हो सके।

यह भी निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों का ऑडिट कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :-

- (क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गयी।

मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, गया जी, समस्तीपुर एवं गोपालगंज जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

पिछले 02 माह में Post CFMS का कुल Rs 1800 करोड़ की UC विभाग को प्राप्त हुआ है परंतु Pre CFMS का मात्र 34 करोड़ का ही UC विभाग को मिला है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने जिले में कैम्प आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

- (ख) **Departmental Audit Progress Report (FY: 2024-25)**- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिला परिषदों, सभी पंचायत समितियों, 8053 पंचायत के विरुद्ध 8024 एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरुद्ध 7953 में ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि शेष ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों का ऑडिट कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- (ग) **Status of Scheme wise & District wise Audit Report (FY: 2024-25)**:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जिलों द्वारा एक भी योजना का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि अगले सप्ताह तक सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- (घ) लोक लेखा समिति की दिनांक- 14.08.2026 को संपन्न बैठक में दिए गए निदेश से संबंधित आपत्ति कंडिकाओं के संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि दिनांक- 24.08.2026 तक सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ताकि ससमय लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया जा सके।

(अनुपालन:-सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 22721 प्राप्त मामलों के विरुद्ध 20381 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 1121 मामले लंबित हैं। कई मामले 10 दिन से अधिक लंबित हैं। इस संबंध में सभी DPRO

लगातार.....

एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालन:—सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. जन-शिकायत की अद्यतन स्थिति—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 645 मामलों के विरुद्ध मात्र 370 मामलों में ही जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जन-शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:—सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु पूर्वी चंपारण, वैशाली, गया जी, पूर्णिया, मधेपुरा एवं सारण जिलों द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर विधिवत् ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कतिपय जिलों यथा शिवहर, समस्तीपुर एवं पश्चिम चंपारण में कई दिनों से हस्तान्तरण के उपरांत भी पंचायत सरकार भवन अक्रियाशील है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अक्रियाशील पंचायत सरकार भवन को एक माह के भीतर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें।

सभी DPRO को यह भी निदेशित किया गया कि जो पंचायत सरकार भवन निर्मित है परन्तु उसका हस्तांतरण नहीं हुआ है या जिसका हस्तांतरण हो गया है परन्तु अक्रियाशील है, का BPRO के माध्यम से सर्वे कराकर क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:—सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 3160 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2920 पंचायत सरकार भवन ही संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 112 में बैंक, 2882 में RTPS केन्द्र, 2838 में विद्युत कनेक्शन, 1023 में डाकघर, 553 में NOFN, 1115 में पुस्तकालय

एवं 27 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। केवल 1263 पंचायत सरकार भवनों में ही सफाई कर्मी-सह-सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 3160 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध मात्र 685 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में यथाशीघ्र Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 746 पंचायतों के प्राक्कलन के विरुद्ध 643 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 588 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 248 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि सभी स्वीकृत 1069 पंचायत सरकार भवन में निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाए।

(अनुपालन:-सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 8053 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 1588 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 907 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 654 की तकनीकी स्वीकृति एवं 415 की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि चिन्हित पंचायतों में प्राक्कलन तैयार कराकर व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण अविलम्ब करायें।

(अनुपालन:-सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. मुक्तिधाम, शवदाह-गृह, मृत्यु प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक मात्र 7051 अंत्येष्टि प्रतिवेदित है तथा 6789 मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। GPDP में पूरक योजना लेकर विभागीय निदेश के आलोक में शवदाह-गृह का निर्माण प्रारंभ कराया जाए।

निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि पर संचालित शवदाह-गृह का सर्वे कराकर पोर्टल पर Entry करना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक जिले के 01-02

प्रसिद्ध शवदाह-गृह की सूची जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि शमशान/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के 24 घंटे के अन्दर मृत्यु प्रमाण-पत्र मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगति:-

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

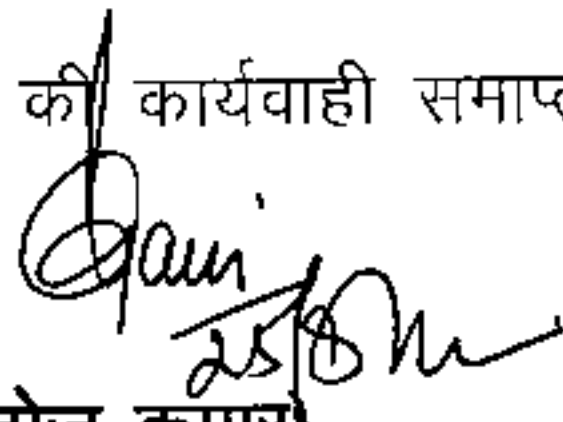
15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	16.82%
02	पंचायत समिति	42.27%
03	ग्राम पंचायत	49.14%

बक्सर, नालन्दा, दरभंगा, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं सीतामढ़ी जिलों के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन कराते हुए व्यय में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कुल 05 जिलों यथा शिवहर, समस्तीपुर, खगड़िया, सिवान एवं जहानाबाद जिला परिषद् में पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर पूर्ण की गयी योजना की संख्या काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। पोर्टल पर योजनाओं के पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित ACEO, जिला परिषद् की है। इस संबंध में उक्त जिलों के DDC एवं ACEO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर पोर्टल पर योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(मनोज कुमार)
सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार

लगातार.....

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/12340/पं०रा० पटना, दिनांक 27/8/2026
 प्रतिलिपि:-बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
 विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/12340/पं०रा० पटना, दिनांक 27/8/2026
 प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
 विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/12340/पं०रा० पटना, दिनांक 27/8/2026
 प्रतिलिपि:-आईटीमैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(अखिलेश कुमार सिंह)
 विशेष कार्य पदाधिकारी